# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
## जिला चित्तौडगढ

**पीठासीन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या/3/2017 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 23.03.2017

**उनवान**

1. मांगीलाल पिता छोगा जाति खटीक निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

**बनाम**

1. कालु खां पिता जमाल खां जाति सोरगर निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. बाबुवली पिता जमाल खां जाति सोरगर निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)**

निर्णय दिनांकः 22.01.2019

**—:निर्णयः—**

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अराजीयात मौजा ग्राम लांगच, पटवार क्षेत्र लांगच, तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है, जिसके हाल आराजी नम्बर 475 रकबा 0.35 हे0 स्थित है, सबुत के लिए नकल चालु जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

यह है कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अराजी नम्बर 475 पर आने जाने , खाली भरी बैलगाडी लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की अराजी न0 477 रकबा 0.25 हे0 की पाली पर होकर के कदीमानी रास्ता गाड गडार बना हुआ है तथा प्रार्थी की अराजी पर आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा ओर कोई रास्ता विद्यमान नही है लेकिन अप्रार्थीगण ने अभी हाल ही करीब 1 माह पूर्व प्रार्थी के अराजी न0 475 पर आने जाने का रास्ता हांक कर बन्द कर दिया तथा रास्ते में गैहू की फसल बो दी जबकी अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23.07.2005 को भी प्रार्थी एवं अप्रार्थीण द्वारा समझौता ईकरार लिखा गया जिसमें प्रार्थी को आने जाने, गाडी मवेशी को लाने ले जाने हेतु चटझवटी जाने वाले आम रास्ता से बाबुखां के खेत तक के अन्दर से जहां पर कुआं है वहां तक जाने हेतु आपसी सहमति से रास्ता दिया गया है, लेकिन अप्रार्थीगण के द्वारा विवाद कर करीब 1 माह पूर्व उक्त रास्ते को हांक दिया, जबकी उक्त आराजी (रास्ते) पर से होकर प्रार्थी व मेरा परिवार वर्षो से आ जा रहे है, खाली भरी बैलगाडी व मवेशी ला ले जा रहे है। अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है। इसके अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई रस्ता उपलब्ध नही है, अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी बावजुद सूचना के हाजिर नही आये एवं इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई।

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चित्तौडगढ (राज0)



Scanned by CamScanner

प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट भू0उ0 नि0 के अनुसार आ0 स0 475 में जाने के लिए मौका व रेकार्ड देखने से जाहिर आया कि प्रार्थी वर्षो से ग्राम लागंच की आराजी न0 477 का उपयोग कर अराजी न0 475 में प्रवेश करता है जो अप्रार्थी 1 व 2 के नाम दर्ज है जिसे वर्षो से यही रास्ता काम में ले रहा है।

जो कि नक्शे में लाल स्याही से दर्शा रखी है। साथ ही अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि मौजा लांगच प0ह0 लांगच तहसील कपासन की आ0 स0 477 में से लम्बाई 25 मी0 के समान्तर 4 मी0 चौडाई जिसका क्षेत्रफल 25*4 मी0 100 व0 मी0 जो कि दिनांक 19.04.2017 के प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार चिन्हित लालस्याही के रेखाकित भाग को हाल नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम हेतु अविलम्ब तरमीम करते हुए उक्त रास्ते के भू–भाग को बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार कपासन को आदेशित किया जाता है।

साथ हि रिपोर्ट आईएलआर अनुसार उक्त भूमि संचित होने से डीएलसी अनुसार एक एयर की राशि 3400 बनती है जिसका दुगुना करने पर कुल राशि 6800 रू0 देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को रकम की अदायगी हेतु 15 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्त के पश्चात अर्थात 15 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकत का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये अवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

(महावीर प्रसाद नायक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner